कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

E-mail – ccf-durg.cg@gov.in, Phone No. 0788-2210160 & Fax- 0788-2210814

क्रमांक/तक.अधि./ 5496 दुर्ग, दिनांक 13/08/2020

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू–प्रबंध/व.सं.अ.)
छ.ग. अटल नगर, नवा रायपुर

विषय :— **Diversion of forest land for non-forest purouse under Forest Conservation Act 1980 for the purpose of Bharat Ner Phase-II Balod Division " Bharat Ner project which is a GOI intiative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optic fibre Cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of optical Fiber cable of 32466 KM will involve 26 districts across the state" , area – 5.075 ha. – regarding.**
पंजीयन क्रमांक – FP/CG/OFC/43110/2019.

संदर्भ :— 1) छ.ग. शासन का पत्र क्र./एफ. 7—22/2009/10—2 दिनांक 22.6.2018.
2) आपका पत्र क्र./भू—प्रबंध/विविध/एल.एम.115—834/3181 दि. 24.12.2019.
3) व.म.अ. बालोद का पत्र क्र./तक.अधि./2020/1957 दिनांक 23.07.2020.

⁂

विषयांतर्गत निवेदन है कि, भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना " भारतनेट प्रोजेक्ट फेस—II के सफल क्रियान्वयन हेतु बालोद जिला के बालोद वनमण्डल अंतर्गत डौण्डी एवं डौण्डीलोहारा परिक्षेत्र के ब्लॉक के अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गो के मौजूदा राईट—ऑफ—वे के अंतर्गत 4.824 हे. वनभूमि एवं 0.251 हे. राजस्व वनभूमि कुल रकबा 5.075 हे. पर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के गैर वानिकी उपयोग हेतु संदर्भित पत्र (2) के माध्यम से पंजीयन आबंटन किया गया है।

उक्त के परिपालन में आवेदक संस्थान द्वारा अपने पत्र क्र./भानेप्रो—II/वनभूमि/प्रस्ताव/2020—21/116 दिनांक 21.05.2020 द्वारा चेक लिस्ट 01 से 21 बिन्दुओं की जानकारी सहित प्रस्ताव वनमण्डलाधिकारी, बालोद को प्रेषित किया गया है।

वनमण्डलाधिकारी, बालोद द्वारा उक्त प्रकरण एवं प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत कंडिकावार जानकारी प्रेषित की गई है, जिसके अनुसार प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्व नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। वनमण्डलाधिकारी, बालोद द्वारा उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर प्राप्त प्रस्ताव की ऑनलाईन प्रविष्टि कर प्रकरण पर सहमत होते हुए, निर्धारित प्रपत्र—3 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

वनमण्डलाधिकारी, बालोद से प्राप्त विषयांकित प्रस्ताव अनुशंसा सहित मय सहपत्रों के एवं भाग—3 मूलतः 03 प्रतियों में आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है ।

संलग्न :—1. प्रस्ताव 3 प्रतियों में

2. डी.जी.पी.एस. सर्वे प्रस्ताव में संलग्न (03 प्रतियों में)

3. टाईम लाईन

13/8/2020

मुख्य वन संरक्षक,

दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/तक.अधि./ 5497 दुर्ग, दिनांक 13/08/2020

प्रतिलिपि :—

1.) **वनमण्डलाधिकारी, बालोद वनमण्डल, बालोद** की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

2.) **JCEO, Chhattisgarh Infotech promotion society CHIPS, 2nd floor, SDC Building, Civii Line, Raipur** की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

13/8/2020

मुख्य वन संरक्षक,

दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, बालोद वनमंडल, बालोद (छ.ग.)

काष्ठागार परिसर, दल्लीराजहरा रोड़, बालोद कार्यालयः फोन न. 07749–223904
ई–मेलः dfobalod@yahoo.com

क्रमांक/तक.अधि./2020 1957 बालोद, दिनांक 23/07/2020

प्रति,

मुख्य वनसंरक्षक
दुर्ग वृत्त दुर्ग (छ.ग.)

मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग वृत्त दुर्ग क्र. 532 दि. 11.8.20

शाखा ... 2700 ... मु.व सं. (क्षे) दुर्ग वृत्त 1018

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act 1980 for the purpose of Bharat Net Phase-II Balod Division " Bharat Net project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optic fibre Cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of optical Fiber cable of 32466 KM will involve 26 districts across the state", area- 5.075 ha. – regarding. पंजीयन क्र. FP/CG/OFC/43110/2019**

संदर्भः–
1. छ.ग. शासन का पत्र क्र./एफ 7–22/2009/10–2 दिनांक 22.06.2018
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अटल नगर नया रायपुर का पत्र क्र./भू–प्रबंध /विविध /एल. एम.–115–834/3181 दिनांक 24.12.2019
3. आवेदक संस्थान का पत्र क्र./भानेप्रो–।।/वनभूमि/प्रस्ताव/2020–21/116 दिनांक 21.05.2020

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित निवेदन है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना " भारतनेट प्रोजेक्ट भारत नेट प्रोजक्ट फेज– ।। के सफल क्रियान्वयन हेतु बालोद जिला के बालोद वनमंडल क्षेत्रांतर्गत डौंडी एंव डौंडीलोहारा ब्लॉक के अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गो के मौजूदा राईट – ऑफ–वे के अंतर्गत 4.824 हे. वनभूमि एंव 0. 251 हे. राजस्व वनभूमि, कुल रकबा 5.075 हे. पर ऑप्टिकल फा यबर केबल बिछाने हेतु वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के गैर वानिकी उपयोग हेतु संदर्भित पत्र क्र. 02 के माध्यम से पंजीयन आंबटन किया गया है। के परिपालन में आवेदक संस्थान द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 03 के माध्यम से चेक लिस्ट 01 से 21 बिन्दुओं की जानकारी तैयार कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। परीक्षण उपरांत प्रस्ताव कंडिका वार विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्र
1.	**आवेदक विभाग का मांग पत्र**– आवेदनकर्ता प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड रायपुर (छ0ग0) ने बालोद जिले के बालोद वनमण्डल अंतर्गत 4.824 हे वन भूमि एंव राजस्व वन भूमि 0.251 हे. पर **Optical fiber laying** हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत फार्म "क" पर कुल रकबा 5.075 हे. मांग किया है, जिसका स्थल निरीक्षण वनमण्डल अधिकारी द्वारा किया जा कर प्रपत्र 3" पर अनुशंसा की गई है। यह अनुशंसा वनमण्डलाधिकारी के स्थल निरीक्षण दिनांक 29./06/2020 के आधार पर की गई है। फार्म–ए का पार्ट–2 (आवेदक संस्थान) पार्ट 2 (वनमंडलाधिकारी) एवं आनलाईन टाईम लाईन की 1–1 प्रति में संलग्न हैं।	1
2.	**रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ब की पुष्टि हेतु ऑनलाईन एकनालेजमेंट स्लिप की छायाप्रतिः**– प्रस्ताव का अनलाईन रजिस्ट्रेशन क्रमांक **FP/CG/OFC/43110/2019** आबंटित किया गया है। आवेदक संस्थान द्वारा पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क कुल 24000/–रू. जमा कर दिया गया है।	2-3
3.	**वन क्षेत्र विवरणः**– आवेदित रकबा 5.075 हे0 वन क्षेत्र का विवरण संलग्न।	4-13

4.	**गैर वन क्षेत्र विवरणः—** प्रस्ताव में 36.431 हे0 गैर वन भूमि प्रभावित हो रही है।	14
5.	**प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल परः—** प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।	15-18
6.	**वन क्षेत्र का इन्डेक्स** मैपः— वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप तथा एफ.एम.आई.एस. द्वारा जारी वन आवरण मानचित्र संलग्न।	19-23
7.	**प्रपत्र—4 में प्रस्तावः—** प्रपत्र—4 में परियोजना की प्रशासकीय लागत 76 करोड़ 89 लाख रू है। आवेदक संस्थान ने प्रस्ताव को स्वीकृति योग्य माना है तथा उल्लेख किया है कि प्रस्तावित वन क्षेत्र में मार्ग के राईट—ऑफ—वे के अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने से ग्रामीण आबादी के जलाऊ लकड़ी आपूर्ति तथा आदिवासियों और बिछड़े समुदायों के जीविकोपार्जन में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा।	24-40
8.	**प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीपः—** प्रस्ताव में प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप संलग्न है।	41-43
9.	**न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्रः—** प्रस्ताव में न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है।	44
10.	**अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो/जिम्मेदारों अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरूद्ध की गई कार्यवाहीः—** इस परियोजना अंतर्गत किसी भी प्रकार से अधिनियम उल्लंघन नही किया गया है।	45
11.	**वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम, पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र III, IV वरिष्ठ कार्यालय से भरा जावेगाः—** प्रपत्र—3 वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन सलग्न है।-	46-63
12.	**ऐतिहासिक प्रमाण पत्रः—** व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व स्थल नहीं है जिससे संबंधित वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।	64
13.	**संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्रः—** संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है।	65-68
14.	**जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. मेंः—** जिले की कुल वन भूमि रकबा 862.920 वर्ग कि.मी. है।	69
15.	**व.स.अ.—1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. मेंः—** वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत 10 प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि का रकबा 684.058 हे. है।	70
16.	**व.स.अ.—1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी Catagory की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे. मेंः—** जिले में इसी Catagory के कोई प्रकरण वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत स्वीकृत नहीं है।	71
17.	**प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक/ एफ—5—20/2007/10—2 दिनांक 12/01/2010):—** प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित नहीं है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह नहीं है।	72
18.	**वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा).। (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र कमांक/F.No. 11—9/1998 दिनांक 03/08/2009):—** प्रस्तावित भूमि में वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित नही किया गया है, तथा कलेक्टर, बालोद का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	73-74
19.	**राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र कमांक भू—प्र/1317 दिनांक 25/05/2007):—** प्रस्तावन में 0.251 हे0 राजस्व वन भूमि सम्मिलित है तथा कलेक्टर, बालोद का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	75-78
20.	**पंजीयन क्रमांक—पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरणः—** प्रस्ताव का पंजीयन क्रमांक— **FP/CG/OFC/43110/2019** एवं 24000 रू पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क आवेदक संस्थान द्वारा जमा किया गया है।	79

21.	**राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर में ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणि) छत्तीसगढ की अनुसंशा:–** ओ.एफ.सी केवल राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण से नहीं गुजर रही है।	~~79-127~~ 80-128

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, निर्धारित प्रपत्र –3 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 4 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–
1. प्रस्ताव 4 प्रतियों में
2. डी.जी.पी.एस. सर्वे प्रस्ताव में संलग्न (04 प्रतियों में)
3. टाईम लाईन

वनमंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद

क्रमांक/तक.अधि./2020 1958   **बालोद, दिनांक 23/07/2020**

प्रतिलिपिः–
1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध/व.स.अ.) अटल नगर नया रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।
2. कलेक्टर बालोद जिला बालोद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. JCEO, Chhattisgarh Infotech promotion society CHiPS,2nd Floor, SDC Building, Civil line Raipur की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद

<u>चेक लिस्ट क्र. – 11</u>

<u>वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव</u>

<u>(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)</u>

<u>भाग III</u>

<u>(संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)</u>

प्रस्ताव का ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक – FP/CG/OFC/43110/2019

14	स्थल जहॉ की वन भूमि शामिल है क्या इसका संबंधित मुख्य वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हॉ/नही) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षेणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें ।	॥नहीं॥
15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं ।	॥सहमत॥
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।	व्यपवर्तन हेतु मांग की गई वन भूमि 4.824 हे० राजस्व वन भूमि 0.251 हे० कुल 5.075 हे० गैरवानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

तिथि :– 13-8-2020

स्थान :– दुर्ग (छत्तीसगढ़)

मुख्य वन संरक्षक

दुर्ग वन वृत्त, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

(शालिनी रैना) भा.व.से.

मुख्य वन संरक्षक (क्षे.)

दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छत्तीसगढ़)